भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं.2395

(जिसका उत्तर सोमवार 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)

केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में कर्नाटक का हिस्सा

2395. **श्री ई.तुकाराम:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौदहवें वित्त आयोग की तुलना में पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में कर्नाटक का हिस्सा कम हुआ था और बाद में सोलहवें वित्त आयोग के अंतर्गत इसमें संशोधन किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत ऐसी कमी के क्या कारण थे और सोलहवें वित्त आयोग के अंतर्गत हिस्सों में संशोधन करते समय किन कारकों पर विचार किया गया था;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने कर्नाटक के वित्त और विकास व्यय पर इन परिवर्तनों के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और;

(घ) क्या सरकार का विचार क्षैतिज कर हस्तांतरण के मानदंडों की समीक्षा करने का है ताकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राज्यों के बीच न्यासंगत वितरण सुरिश्चित किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

क) 15वें वित्त आयोग के तहत केंद्रीय करों और शुल्कों के विभाज्य पूल में कर्नाटक की हिस्सेदारी 3.647% थी। 14वें वित्त आयोग के दौरान यह 4.713 प्रतिशत था और 16वें वित्त आयोग के अनुसार यह 4.131 प्रतिशत है।

ख) 15वें वित्त आयोग के दौरान संकेतकों/मानदंडों और उनसे जुड़े भारांक में परिवर्तन के कारण विभाज्य पूल के हिस्से में परिवर्तन हुआ है। 16वें वित्त आयोग ने निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया जिसके परिणामस्वरूप कर्नाटक के हिस्से में संशोधन हुआ।

संकेतक/मानदंड	**16वें वित्त आयोग में से सारांश**
जनसंख्या (2011 की जनगणना)	17.5
जनसांख्यिकीय प्रदर्शन	10.0
क्षेत्र	10.0
वन	10.0
प्रति व्यक्ति जीएसडीपी अंतर	42.5
जीडीपी में योगदान	10.0

ग) वित्त आयोग, केन्द्रीय करों और शुल्कों के साझा पूल में राज्यों के हिस्से की सिफारिश करते समय, राज्यों के राजकोषीय दृष्टिकोण का आकलन करते हैं। वित्त आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन को प्रासंगिक वित्त आयोग वर्षों के तहत https://fincomindia.nic.in/ वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

घ) संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (क) के अनुसार, करों और शुल्कों की निवल आय का संघ और राज्यों के बीच आवंटन करने की सिफारिशें करना वित्त आयोग का कर्तव्य है। 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए, 16वें वित्त आयोग ने क्षैतिज कर हस्तांतरण **(**होरीजोनटल टैक्स डीवोल्यूशन) पर सिफारिशें की हैं, जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है और जिसके लिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन 1 फरवरी 2026 को संसद के पटल पर रखा गया था।
